पंचदश

बिहार विधान-सभा

द्वितीय सत्र

तारांकित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 07 चैत्र, 1933 (श०) / 28 मार्च, 2011 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या—35

(1) गृह विभाग	..	..	20
(2) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	..	..	01
(3) उद्योग विभाग	..	..	02
(4) वित्त विभाग	..	..	02
(5) वाणिज्य-कर विभाग	..	..	01
(6) सामान्य प्रशासन विभाग	..	..	04
(7) गन्ना उद्योग विभाग	..	..	03
(8) सांख्यिक वित्त विभाग	..	..	01
(9) सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग	..	..	01
		कुल योग ..	35

भवन का निर्माण

*1938. श्री रामसेवक सिंह--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के थाना हथुआ का घेराबन्दी नहीं हो पाया है तथा यहां पुलिस पदाधिकारियों के रहने हेतु भवन का अभाव है;

(2) क्या यह बात सही है कि हथुआ थाना के अभाव में छोटे-छोटे कमरों में अपना कार्यालय, बन्दीगृह आदि कार्यों का निष्पादन करने हेतु मजबूर है, इस तरह काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार हथुआ थाना का घेराबन्दी कराते हुए थाना भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अग्निशामक यंत्र रखना

*1939. श्रीमती ज्योति देवी--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत मोहनपुर एवं बाराचट्टी प्रखण्ड में अग्निशामक यंत्र नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि अग्निकांड के समय जिला मुख्यालय के उक्त प्रखण्ड तक अग्निशामक यंत्र पहुंचने में 3 घंटे से अधिक समय लगते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार मोहनपुर एवं बाराचट्टी प्रखण्ड में अग्निशानक यंत्र रखने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थाना खोलना

*1940. श्री पवन कुमार जायसवाल--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी चम्पारण जिला के ढाका प्रखंड अंतर्गत फुलवरिया चौक भारत-नेपाल सीमा से तीन कि०मी० पर अवस्थित है तथा ढाका थाना से 11 कि०मी० एवं कुण्डवा-चैनपुर थाना से 10 कि०मी० की दूरी पर है;

(2) क्या यह बात सही है कि दोनों थाना से काफी दूरी होने के कारण थाना को फुलवरिया, गुरहनावा, तेलहारा, चन्दनबारा, पड़री, बड़हावा, करमावा पंचायतों में पुलिस गश्त नहीं हो पाता है तथा विधि व्यवस्था में परेशानी होती है;

(3) क्या यह बात सही है कि फुलवरिया चौक पर वर्ष 1983 से वर्ष 1993 तक पुलिस चौकी का निर्माण हुआ था, जो बाद में हटा लिया गया;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार भारत-नेपाल सीमावर्ती तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के मध्य बाजार फुलवरिया चौक पर थाना खोलने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मिल चालू करना

*1941. डॉ० अब्दुल गफूर--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिलान्तर्गत बैजनाथपुर पेपर मिल वर्ष 1975 से निर्माणाधीन है, जिसे चालू नहीं किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पेपर मिल के चालू हो जाने से उत्तर बिहार खासकर सहरसा, मधेपुरा एवं सुपौल जिला के लोगों को काफी लाभ होगा ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या उक्त पेपर मिल को चालू करवाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

ओ० पी० खोलना

*1942. श्री रमेश ऋषिदेव--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला के सिहेश्वर विधान-सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रोता, रानीपटी, हेगरदा, परीदारी, बी० कोरलाही, पंचायत कुमारखंड के थाना के अन्तर्गत आता है, जिसकी दूरी थाना से 7 कि०मी० पड़ता है, जबकि यह क्षेत्र उग्रवाद प्रभावित है;

(2) क्या यह बात सही है कि थाना के दूर रहने के कारण इस उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में आम जनता की सुरक्षा में भारी कठिनाई होती है ;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार रोता पंचायत के बेलहा एवं गोपालपुर ग्राम में ओ०पी० बनाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?

चालू करना

*1943. श्री भाई वीरेन्द्र--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि पटना जिला के बिहटा प्रखण्ड अवस्थित बिहटा चीनी मिल वर्ष 1995 से ही बन्द है, जिस कारण गन्ना उत्पादकों द्वारा गन्ने को पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भेजना पड़ता है, यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चीनी मिल को चालू कराने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

चालू करना

*1944. श्री अख्तरूल इसलाम साहिन--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत जितवारपुर प्रखंड के रूपनरायणपुर बेला पंचायत में पुलिस पिकेट की स्थापना वर्ष 2000 में की गई थी ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त पुलिस पिकेट को सरकार द्वारा वर्ष 2010 में बन्द कर दिया गया है, जिसके कारण स्थानीय इलाके में लगातार अपराधिक घटनाएं बढ़ती जा रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त पुलिस पिकेट को जनहित में पुनः चालू करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1945. श्रीमती मुन्नी देवी--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भोजपुर जिलान्तर्गत शाहपुर थाना क्षेत्र के करनामेपुर निवासी शुशांस मिश्र को मोबाइल नम्बर 9934636081 से रंगदारी मांगा गया, जब वे करनामेपुर ओ०पी० में इस संबंध में प्रथामिकी दर्ज कराने गये तो प्रथामिकी दर्ज नहीं किया गया ;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त मोबाइल नम्बर से ही इस क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक व्यक्तियों से रंगदारी की मांग की गयी है, परन्तु अभीतक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है ;

(3) क्या यह बात सही है कि श्री गौतम उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री सत्यनारायण चौबे के भी मोबाइल पर रंगदारी मांगी गयी थी, जिसमें इनके द्वारा करनामेपुर ओ०पी० में केस संख्या 218/10 दिनांक 26 दिसम्बर, 2010 दर्ज कराया गया था;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त मोबाइल नम्बर को चिन्हित कर अपराधी को गिरफ्तार करने तथा शिथिलता बरतने वाले करनामेपुर ओ०पी० के प्रभारी पर कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

अग्निशामक यंत्र रखना

*1946. श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा— क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक-एक अग्निशामक वाहन रखा गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि जिला मुख्यालय से सुदूर गाँवों में अग्निकांड होने से अग्निशामक वाहन को पहुँचने में तीन-चार घंटे घटना स्थल तक लग जाते हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के 101 अनुमंडलों के मुख्यालय में एक-एक अग्निशामक यंत्र रखने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

जमीन मुहैया कराना

*1947. श्री प्रभात रंजन सिंह—क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बगहा पुलिस जिलान्तर्गत भैरोगंज थाना रेलवे के जमीन पर कार्यरत है;

(2) क्या यह बात सही है कि रेलवे द्वारा बार-बार उक्त थाना को वहां से हटाने का अल्टीमेटम दिया जाता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार उक्त थाना को सरकारी जमीन मुहैया कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1948. डॉ० इजहार अहमद — क्या मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि दिल्ली में आई०एन०एस० भवन अवस्थित है, जबकि बिहार में नहीं है, यदि हां, तो दिल्ली के तर्ज पर बिहार में भी आई०एन०एस० भवन बनाने का विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा ऋण देना

*1949. डॉ० इजहार अहमद— क्या मंत्री, सांस्थिक वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार राज्य में उच्चतर शिक्षा के लिए छात्र-छात्रों को राष्ट्रीकृत बैंकों द्वारा शिक्षा ऋण देने का प्रावधान है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में बैंक शिक्षा ऋण वर्ष 2009 से नहीं दिया जा रहा है;

(3) क्या यह बात सही है कि शिक्षा ऋण में किसी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है उसके बावजूद भी बैंक के द्वारा छात्रों से गारंटी की मांग की जाती है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के छात्र-छात्राओं के हित में समय पर शिक्षा ऋण का भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक और नहीं, तो क्यों ?

स्थिति सुधारना

*1950. श्री राम सेवक सिंह— क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गोपालगंज जिला के प्रखंड उचकागाँव, हथुआ, फुलवरिया गन्ना उत्पन्न करने वाला क्षेत्र है, परन्तु यहां की हथुआ सुगर मिल बंद रहने के कारण किसानों द्वारा गन्ना का उत्पादन लगभग बंद कर दिया गया है, जिससे यहां के किसानों को आर्थिक स्थिति दिन-प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त चीनी मिल चालू कराकर यहां के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1951. श्री विनोद प्रसाद यादव— क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के शेरघाटी थाना का भवन बहुत ही पुराना एवं जर्जर स्थिति में है, यदि हां, तो क्या सरकार शेरघाटी थाना को मॉडल थाना भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

भवन का निर्माण

*1952. श्री अशोक कुमार— क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत शिवाजीनगर ओ०पी०, हथौड़ी थाना तथा खानपुर थाना भवन, चहारदीवारी एवं कर्मियों के लिए आवासीय भवन नहीं रहने के कारण काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यदि हां, तो क्या सरकार इन थानों को चहारदीवारी एवं आवासीय भवन का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मुक्त रखना

*1953. श्री विजय कुमार सिन्हा— क्या मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि देश के प० बंगाल, झारखंड, आसाम एवं नागालैंड राज्यों में फूडग्रेन अन्तर्गत दलहन, तेलहन एवं अन्य चीजों पर टैक्स फ्री रहने के कारण उक्त राज्य में वहां के व्यापारियों द्वारा फार्म "सी" नहीं दिया जाता है;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार में उक्त वस्तुओं पर टैक्स लगने के कारण बिहार के व्यावसायियों को सी०एस०टी० देना पड़ता है एवं फूडग्रेन के पहुँचाने के उपरान्त व्यावसायियों से फार्म "सी" की मांग की जाती है एवं फार्म "सी" नहीं देने के एवज में दोबारा सी०एस०टी० देना पड़ता है, जिससे व्यापारियों को घाटा का सामना करना पड़ता है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त व्यापारियों के हित में फार्म "सी" के एवज में दोबारा सी०एस०टी० लेने से मुक्त रखने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

उप-कोषागार खोलना

*1954. डा० अरूण कुमार--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला अंतर्गत सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल बने 18 वर्ष हो गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि 18 वर्ष बीत जाने के बाद भी सिमरी बख्तियारपुर में उप-कोषागार नहीं है;

(3) क्या यह बात सही है कि सिमरी बख्तियारपुर के निवासी को 20 कि०मी० दूरी तय कर सहरसा कोषागार में जाना पड़ता है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार सिमरी बख्तियारपुर में उप-कोषागार खोलने का विचार रखती है, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

मिल खोलना

*1955. श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि गया जिला के अन्तर्गत अंग्रेजों के समय काल से गुरारू चीनी मिल के नाम से निर्माण किया गया था, जो आजतक उक्त चीनी मिल 1990 से बंद है, यदि हां, तो क्या सरकार गया जिलान्तर्गत जनहित में नई चीनी मिल खोलने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

थाना का निर्माण

*1956. श्री विजय कुमार सिन्हा--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लखीसराय जिला अन्तर्गत अनुसूचित जाति-जन-जाति थाना, महिला थाना एवं यातायात थाना नहीं है; जिस कारण संबंधित व्यक्तियों को काफी कठिनाई होती है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लखीसराय में उक्त थानों का निर्माण कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अनुमंडल का दर्जा देना

*1957. श्रीमती रंजु गीता--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलान्तर्गत बाजपट्टी प्रखण्ड शहीद रामफल मंडल एवं अन्य वीर सपूतों की कर्मभूमि को तत्कालीन जिला पदाधिकारी सुश्री लक्ष्मी चक्रवर्ती ने वर्ष 1975 में बाजपट्टी को अनुमंडल का दर्जा देने हेतु सरकार को प्रतिवेदन सुपूर्द की थी;

(2) क्या यह बात सही है कि उक्त प्रतिवेदन पर आजतक कार्रवाई नहीं करने के कारण बाजपट्टी अनुमंडल को अनुमंडल का दर्जा नहीं मिला है;

(3) क्या यह बात सही है कि बाजपट्टी प्रखण्ड सुरसंड, परिहार और सोनवर्षा प्रखण्डों के मध्य में पड़ने से भारत-नेपाल सीमा को जोड़ती है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त शहीद एवं अन्य वीरों की भूमि बाजपट्टी को वर्णित प्रतिवेदन के आधार पर अनुमंडल का दर्जा देने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक नहीं, तो क्यों ?

थाना खोलना

*1958. श्रीमती ज्योति देवी--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गया जिलान्तर्गत मोहनपुर प्रखण्ड के केवला पंचायत अति उग्र प्रभावित क्षेत्र है;

(2) क्या यह बात सही है कि मोहनपुर थाना से केवला की दूरी 20 किलोमीटर है, जिसके कारण उग्र प्रभावित क्षेत्र के विधि व्यवस्था में काफी कठिनाई होती है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार केवला में थाना खोलने का विचार रखती है, कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1959. श्री पवन कुमार जायसवाल--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि कार्मिक विभाग (संगठन एवं पद्धति प्रशासन) के पत्रांक 536/14 अगस्त, 1975 एवं पत्रांक 2178/28 फरवरी, 2007 द्वारा सरकारी सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियों से संबंधित सूचिकाओं के निष्पादन में किसी कर्मचारी/पदा० के स्तर से 3 दिन से अधिक विलम्ब किया जाता है तो ऐसे कर्मचारी/पदा० के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने का प्रावधान है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ऐसे मामलों में तीन दिन से अधिक सूचिका को दबा कर रखने वाले कर्मचारी/पदा० के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था

*1960. श्री अख्तरूल ईमान--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अग्निशामक यंत्र प्रत्येक जिला के जिला मुख्यालय में है तथा उसकी संख्या जिलावार एक, दो या तीन से अधिक नहीं है;

(2) क्या यह बात सही है कि अग्निशामक गाड़ी के अभाव तथा समय पर आगजनी के घटना स्थल पर गाड़ियों के नहीं पहुंचने के कारण राज्य में प्रत्येक वर्ष हजारों गरीब परिवारों के घर जलकर राख हो जाते हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सभी प्रखण्डों में एक-एक अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

*1961. श्री राम प्रवेश राय--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 1997 एवं 1998 में वरीय भारतीय पुलिस पदाधिकारी, श्री वी० वी० प्रधान द्वारा ढाई लाख की दर से 200 रिवाल्वर खरीदकर दिया गया जिसमें से 50 रिवाल्वर के बारे में पुलिस मुख्यालय को कोई जानकारी नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सेवानिवृति के समय नो ड्यूज सर्टिफिकेट आवश्यक है परन्तु बिना रिवाल्वर जमा हुए उक्त पुलिस पदाधिकारियों को नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी भी कर दिया गया और वे पेंशन प्राप्त कर रहे हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो इस अनियमितता के लिये सरकार कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है ?

अग्निशामक यंत्र रखना

*1962. श्री रमेश ऋषिदेव--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि मधेपुरा जिला अन्तर्गत कुमारखण्ड एवं शंकरपुर एवं आलम नगर प्रखंड में अग्निशामक सेवा नहीं है, जिस कारण आगलगी के समय जिला मुख्यालय से अग्निशामक यंत्र को आने में 4 से 5 घंटा लग जाता है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कुमारखण्ड एवं शंकरपुर एवं आलम नगर प्रखंड में अग्निशामक यंत्र रखने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

छात्रावास का निर्माण

*1963. डॉ0 अरूण कुमार--क्या मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सहरसा जिला अंतर्गत सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल बने 18 वर्ष हो गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल में अल्पसंख्यक छात्रावास नहीं रहने के कारण छात्रों को काफी कठिनाई हो रहा है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल में अल्पसंख्यक छात्रावास बनाना चाहती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?,

---

अग्निशामक यंत्र रखना

*1964. श्री जनक सिंह--क्या मंत्री, गृह (विशेष) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिला के अनुमंडल मढ़ौरा में अग्निशामक यंत्र नहीं रहने के कारण आगजनी की घटनाओं को काबू पाने में कठिनाई होती है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त अनुमंडल में अग्निशामक यंत्र देने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पुलिस चौकी खोलना

*1965. डॉ0 उषा विद्यार्थी--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना जिला के पालीगंज अनुमंडल का जमुई बाजार एवं उसके आस-पास का क्षेत्र उग्रवाद प्रभावित है तथा वहां नजदीक कोई पुलिस चौकी नहीं है, जिससे वहां आए दिन आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जमुई बाजार में पुलिस चौकी खोलने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अनुमंडल बनाना

*1966. श्री प्रेम रंजन पटेल--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि लक्खीसराय जिले में एक मात्र लक्खीसराय अनुमंडल है;

(2) क्या यह बात सही है कि जिले में एक मात्र अनुमंडल रहने से प्रशासनिक कार्यों में कठिनाई होती है;

(3) क्या यह बात सही है कि सूर्यगढ़ा अनुमंडल बनाने हेतु सभी अर्हता को पूरा करता है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सूर्यगढ़ा को अनुमंडल बनाने का विचार रखती है, अगर हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

अधीन रखना

*1967. श्री विनय कुमार सिंह--क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा प्रदान करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सारण जिलान्तर्गत दिघवारा प्रखंड के राजस्व ग्राम अकिलपुर, बतरौली, पकवलिया, दुधिया इत्यादि कई गांव अकिलपुर थाना पटना जिला बल से संचालित होता है;

(2) क्या यह बात सही है कि अकिलपुर थाना जो दिघवारा सारण जिला का पंचायत है, जिसका राजस्व की उगाही सारण जिला से एवं प्रशासनिक पटना जिला के अधीन है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अकिलपुर थाना जो पटना जिला से संचालित होता है, उसे छपरा जिला के अधीन करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

भुगतान करना

*1968. श्री प्रदीप कुमार--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि नवादा जिलान्तर्गत वारिसलीगंज प्रखंड के ग्राम-सुलतानपुर में दिनांक 19 अप्रील, 2005 को रामजी प्रसाद, रामोतार महतो, हारूनी महतो तथा सुरेश महतो की सामुहिक हत्या हो गयी थी, जिसका वारिसलीगंज काण्ड संख्या-41/2005 दर्ज किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि सभी मृतकों के आश्रितों को स्थानीय प्रशासन द्वारा डेढ़ लाख रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से मुआवजा देने का आश्वासन वर्ष 2005 में जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा दिया गया था, परन्तु आजतक विगत पांच वर्षों से आश्रितों को मुआवजा की राशि भुगतान नहीं किया गया है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उपर्युक्त मृतकों के आश्रितों को मुआवजा की राशि भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

रोक लगाना

*1969. श्रीमती उषा सिन्हा--दिनांक 25 फरवरी, 2011 को दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित शीर्षक-''सौ रुपए में खुलती है नो इंट्री'' के आलोक में क्या मंत्री, गृह (आरक्षी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पटना सिटी अनुमंडल के सभी थाना क्षेत्रों में नो इंट्री के समय प्रतिबंधित वाहन धड़ल्ले से चलते हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा अवैध वसूली तथा जल्दबाजी के चक्कर में पिछले बारह महीने के अन्दर पांच मौत व डेढ़ दर्जन लोग घायल हुए हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस पर रोक लगाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

रोक लगाना

*1970. श्री संजय सिंह ''टाईगर''--हिन्दी समाचार-पत्र में 07 मार्च, 2011 को प्रकाशित शीर्षक ''अभियंताओं की कमी से जूझ रहा बिहार'' को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में मात्र 4034 कनीय अभियंता हैं, जबकि आवश्यकता 8795 कनीय अभियंताओं की है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के अभियंताओं की विधि व्यवस्था में प्रशासन द्वारा आम तौर पर उपयोग किया जा रहा है, जिससे विकास कार्यों को समय पर पूरा करने में बाधा हो रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कनीय अभियंताओं की नियुक्ति करने तथा विधि-व्यवस्था में अभियंताओं के उपयोग पर रोक लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ऋण माफ करना

*1971. श्रीमती कुमारी मंजु वर्मा--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2010 में सरकार ने बुनकर के ऋण माफी की घोषणा की थी;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2007 में बेगूसराय जिला के एक मात्र बुनकर बिन्देश्वरी महतो ग्राम-रामपुर घाट, प्रखंड चेरिया बारियापुर ने यू०को० बैंक से ऋण लिया था;

(3) क्या यह बात सही है कि जिला उद्योग केन्द्र बेगूसराय में निबंधित रहने के बावजूद इनका ऋण माफ नहीं किया गया है;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त बुनकर का ऋण माफ कराने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

योजना चलाना

''क'' *1972. श्री परमानंद ऋषिदेव--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि जीविका कार्यक्रम योजना बिहार के मुजफ्फरपुर, पटना, गया, भागलपुर सहित अन्य जिलों में 5 वर्षों से चलाए जा रहे हैं, लेकिन पूर्णियां, अररिया एवं किशनगंज जिले में उक्त योजना नहीं चलाया जा रहा है;

(2) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पूर्णियां, अररिया एवं किशनगंज जिलों में जीविका कार्यक्रम योजना चलाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पटना:
दिनांक 28 मार्च, 2011 (ई०) ।

गिरीश झा,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा।

नोट-''क''- वित्त विभाग को स्थानान्तरित

बि०स०मु० (एल०ए०) 153--डी०टी०पी०--450